



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 362 ]  
No. 362 ]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 27, 2000/ज्यैष्ठ 6, 1922  
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 27, 2000/JYAISTHA 6, 1922

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2000

प्रलेख सं. सीडी-325/2000

का. आ. 523 (अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (दो सौ अड़तालीसवां संशोधन) नियम, 2000 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,-

(1) प्रथम अनुसूची में,-

(क) शीर्ष '3. नागर विमानन मंत्रालय' के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

'3क. कोयला मंत्रालय';

(ख) शीर्ष '5क. संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय' और उपशीर्षो '(i) संस्कृति विभाग और (ii) युवक कार्यक्रम और खेल विभाग' का लोप किया जाएगा ।;

(ग) शीर्ष '20. खान और खनिज मंत्रालय' और उसके अधीन उपशीर्षो के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थातः—

'20. खान मंत्रालय' ;

(घ) शीर्ष '32क. पर्यटन मंत्रालय' के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष और उपशीर्ष रखे जाएंगे, अर्थात :-

'32क. पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय

(i) पर्यटन विभाग

(ii) संस्कृति विभाग ।';

(ङ.) शीर्ष '33. शहरी विकास मंत्रालय' के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष और उपशीर्ष रखे जाएंगे, अर्थातः—

'33. शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(i) शहरी विकास विभाग

(ii) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग ।';

(च) शीर्ष '33क. शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय' का लोप किया जाएगा ।

(छ) शीर्ष '35. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय' के पश्चात, निम्नलिखित शीर्ष जोड़ा जाएगा, अर्थातः—

'35क. युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ।'.

(1) द्वितीय अनुसूची में , -

(क) शीर्ष 'नागर विमानन मंत्रालय' और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष और तत्संबंधी प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

'कोयला मंत्रालय'

1. भारत में कोकिंग और नान-कोकिंग कोयले तथा लिग्नाइट के भंडारों का खोज और विकास ।
2. कोयले के उत्पादन, पूर्ति, वितरण और कीमतों से संबंधित सभी मामले ।
3. इस्पात विभाग जिनके लिए जिम्मेदार है उनसे भिन्न कोयला वाशरियों का विकास और प्रचालन ।
4. कोयले का निम्न ताप पर कार्बनीकरण और कोयले से संश्लिष्ट तेल का उत्पादन ।
5. कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम 1974 (1974 का 28) का प्रशासन ।
6. कोयला खान भविष्य निधि संगठन ।
7. कोयला खान कल्याण संगठन ।
8. कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 ( 1948 का 46) का प्रशासन ।
9. कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 ( 1947 का 32 ) का प्रशासन ।
10. खानों से उत्पादित और प्रेषित कोक और कोयले पर उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए तथा बचाव निधि के प्रशासन के लिए खान अधिनियम, 1952 (1952 का 32 ) के अन्तर्गत नियम ।
11. कोयला-धारक क्षेत्र ( अधिग्रहण और विकास ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 20 ) का प्रशासन ।
12. कोयले और लिग्नाइट से संबंधित पब्लिक सेक्टर के उद्यम ।
13. खान और खनिज ( विनियमन और विकास ) अधिनियम ,1957 ( 1957 का 67) तथा अन्य केन्द्रीय कानूनों का प्रशासन जहां तक कि उक्त अधिनियम और कानूनों का संबंध कोयले और लिग्नाइट और भरणार्थ बालू से है, इस प्रकार के प्रशासन से आनुषंगिक कार्य जिसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रश्न शामिल हैं ।';

- (क) शीर्ष ' संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ' और उपशीर्ष और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।
- (ख) शीर्ष ' खान और खनिज मंत्रालय ' और उसके अधीन उपशीर्षों और प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित शीर्ष और तत्संबंधी प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

### खान मंत्रालय

1. (i) भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर खानों के विनियमन और खनिजों के विकास के लिए विधायन, जिसके अंतर्गत राज्यक्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि या भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, के भीतर समुद्र अधःशायी खानें और खनिज भी हैं।
- (ii) कोयला, लिग्नाइट और भरणार्थ बालू तथा संघ के नियंत्रणाधीन विधि द्वारा यथाघोषित परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 ( 1962 का 33) के प्रयोजन के लिए विहित प्रदार्थों के रूप में घोषित कोई खनिज से भिन्न खानों का विनियमन और खनिजों का विकास, जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में खनिजों के विनियमन और विकास से संबंधित प्रश्न और उससे संसक्त या उसके आनष्णांगिक मामले भी हैं ।
2. सभी ऐसे अन्य धातु और खनिज, जो विनिर्दिष्टतया किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को आबंटित नहीं हैं जैसे अल्पमिनियम, जस्ता, तांबा, सोना, हीरा, सीसा और निकल ।
3. इस विभाग द्वारा व्यवहृत सभा उद्याना का याचना, विकास और नियंत्रण तथा सहायता।
4. भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण ।
5. भारतीय खान ब्यूरो ।
6. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित सभी अन्य संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन ।
7. दि सिविकम माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड ।
8. जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्टतया आबंटित किए गए हैं, उनके सिवाय इस सूची में सम्मिलित किए गए विषयों के अधीन आने वाले पब्लिक सेक्टर उद्यम और उपकम।
9. मदलाजकन ग्रुप असोसिएशन ।

(घ) शीर्ष 'पर्यटन मंत्रालय' और उसके अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष और उपशीर्ष और तत्संबंधी प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:

पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय

(क) पर्यटन विभाग

1. पर्यटन का विकास ।
2. भारत पर्यटन विकास निगम और उसके अधीन पब्लिक सेक्टर होटल या मोटल्स ।
3. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी मामले के प्रयोजन के लिए जांच और सांख्यिकी ।

ख. संस्कृति विभाग

1. राष्ट्रीय पुस्तकालय ; भारतीय संग्रहालय ; भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय; विक्टोरिया स्मारक ऐशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता और भारतीय युद्ध स्मारक तथा ऐसी सभी अन्य संस्थाएं जिनका वित्त पोषण पूर्णतः या अंशतः भारत सरकार द्वारा किया जाता है और जो संसद ने विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित की हैं ।
2. राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपत्ति संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ ।
3. पुरातत्व, पुरातत्वीय संग्रहालय ।
4. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 ( 1958 का 24 ) और प्राचीन संस्मारक पाररक्षण अधिनियम, 1904 ( 1904 का 7 ) ।
5. ऐतिहासिक और पुरातत्वीय अवशेषों के उत्खनन और खोज कार्य के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं को अनुदान ।
6. सशस्त्र संघर्ष की दशा में सांस्कृतिक सम्पत्ति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय ।
7. स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास ।
8. जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक न्यास ।

9. गांधी स्मृति समिति और गांधी दर्शन का प्रशासन ।
10. पुस्तक और समाचार पत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम और प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम (जहां तक कि केन्द्रीय सरकार को पुस्तकें और सूची - पत्र देने का संबंध है) ।
11. ललित कलाओं की अभिवृद्धि ।
12. साहित्य, ललित कला और संगीत नाटक अकादमियां ।
13. केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय; केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता; रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर; दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी; इंडिया आफिस लाइब्रेरी; राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली; सालारजंग संग्रहालय और पुस्तकालय, हैदराबाद; खुदाबख्स ओरिएण्टल पब्लिक लाइब्रेरी; नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय; गांधी दर्शन समिति; राष्ट्रीय चित्र दीर्घा; राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली; सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली; राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता; इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद; संग्रहालयों का व्यापक विकास ।
14. रत्न और आभूषण संग्रहालय ।
15. राष्ट्रीय नवकला भवन, नई दिल्ली ।
16. भारतीय और विदेशी कला वस्तुओं का अर्जन ।
17. निखात निधि; पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 (1972 का 52) तथा पुरावशेषों का निर्यात ।
18. ग्रामीण क्षेत्रों में खुली नाट्यशालाएं और राज्यों की राजधानियों में नाट्य-शालाएं ।
19. सूचना और प्रसारण मंत्रालय की स्कीम के अधीन आने वाले प्रवर्गों के लेखकों और कलाकारों से भिन्न निर्धनावस्था वाले लेखकों और कलाकारों को या उनके उत्तरजीवियों को वित्तीय सहायता ।
20. दान और पूर्त संस्थाएं, इस विभाग में व्यवहृत विषयों से संबद्ध दान और धार्मिक विन्यास ।

21. इस विभाग में व्यवहृत विषयों के संबंध में छात्रवृत्तियां जिसके अंतर्गत विदेशी सरकारों और विदेशी अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी हैं ।
22. दुर्लभ हस्तलेखों का प्रकाशन ।
23. अखिल भारतीय सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान ।
24. भारतीय विदेशी सांस्कृतिक सोसाइटियों को अनुदान ।
25. दूसरे देशों के साथ सांस्कृतिक करार और मैत्री संधियां ।
26. विदेशों से दान में प्राप्त पुस्तकों का वितरण ।
27. विदेशों में सांस्कृतिक अताशियों की नियुक्ति ।
28. समर्थित और असमर्थित सांस्कृतिक शिष्टमंडलों, आदि द्वारा भारत का परिदर्शन ।
29. विदेश परिदर्शन के लिए सरकार द्वारा समर्थित व्यक्ति ( जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक व्याख्याता भी हैं ) ।
30. विदेशों को पुस्तकें भेंट करना ।
31. विदेशों में पुस्तकालयों की स्थापना ।
32. भारतीय वरेण्य ग्रंथों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद ।
33. शासकीय प्रकाशनों का विदेशी सरकारों और संस्थाओं के साथ विनिमय और ऐसे विनिमयों के लिए करार ।
34. विदेशों में भारतीय कला वस्तुओं का प्रदर्शन ।
35. सांस्कृतिक संस्थाओं में विदेशी विद्यार्थियों का प्रवेश ।
36. सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अधीन कलाकारों, नर्तकों/नर्तकियों, संगीतज्ञों, आदि का विनिमय ।

37. गजेट्टियों का पुनरीक्षण ।
38. महत्वपूर्ण व्यक्तियों की शताब्दियां और वार्षिकोत्सव मनाना ।
39. इस विभाग द्वारा व्यवहृत विषयों से संबंधित सूचना और आंकड़ों का प्रकाशन।
40. इंटरनेशनल कांग्रेस आव आरयटालस्टस ।
41. भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ।
42. भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ।
43. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ।
44. राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कलकत्ता ।
45. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी से संबंधित अन्य सब संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन ।
46. रवीन्द्र रंगशाला ।
47. आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्र ।
48. राष्ट्रीय संस्कृति परिषद् ।
49. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आईबीओएनओए)
50. राष्ट्रीय नाट्यमहोत्सव

(ड.) शीर्ष 'शहरी विकास मंत्रालय' और उसके अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष और उपशीर्ष और तत्संबंधी प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्

शहरी विकास और गरीबी: उपशमन मंत्रालय

क. शहरी विकास विभाग

1. निम्नलिखित के सिवाय संघ की सम्पत्तियां, चाहे वे भूमि हो अथवा भवन :

(i) वे जो रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के हों।



- (ii) ऐसे भवन अथवा भूमि, जिनके निर्माण अथवा अर्जन के लिए धनराशि सिविल निर्माण बजट से भिन्न किन्हीं अन्य साधनों से जुटाई गई हो ; और
- (iii) ऐसी भूमि अथवा भवन, जिसका नियंत्रण, उनके निर्माण अथवा अर्जन के समय अथवा बाद में, स्थायी रूप से दूसरे मंत्रालयों और विभागों को सौंप दिया गया हो ।
2. सब सरकारी सिविल संकर्म और भवन, जिनके अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों के संकर्म और भवन तो हैं, किन्तु सड़कें और रेल मंत्रालय, डाक विभाग, दूरसंचार विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग द्वारा निष्पादित संकर्म या उनके भवन नहीं हैं ।
  3. उद्यान कृषि संकियाएं ।
  4. केन्द्रीय लोक निर्माण संगठन ।
  5. इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी होस्टलों सहित सरकारी सम्पदाओं का प्रशासन । महानगरों में कार्यालयों का अवस्थापन या वहां से उनका विसर्जन ।
  6. विज्ञान भवन में जगह का आबंटन ।
  7. स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 (1952 का 30) का प्रशासन ।
  8. दिल्ली होटल (वास-सुविधा-नियंत्रण) अधिनियम, 1949 (1949 का 24) का प्रशासन ।
  9. लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) ।
  10. चार पुनर्वास बाजारों, अर्थात् सरोजिनी नगर मार्केट, शंकर मार्केट, प्लेजर गार्डन मार्केट और कमला मार्केट का प्रशासन ।
  11. विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) के अधीन दिल्ली और नई दिल्ली में सरकार निर्मित सम्पत्तियों की बाबत पट्टा या हस्तांतरण पत्र जारी करना और पट्टा विलेखों का संपरिवर्तन करना तथा ऐसी सम्पत्तियों से लगी हुई भूमि की अतिरिक्त पट्टियों और सुधारक क्षेत्रों का आबंटन ।
  12. भारत सरकार के लिए लेखन सामग्री और मुद्रण, जिसके अंतर्गत शासकीय प्रकाशन भी हैं ।
  13. जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन मद 22 और 23 के अधीन रहते हुए सड़क पर आधारित प्रणाली की तकनीकी योजना सहित शहरी परिवहन प्रणाली की योजना और समन्वय तथा रेल मंत्रालय, रेल बोर्ड के अधीन मद 1 और 2 के अधीन रहते हुए रेल पर आधारित प्रणाली की तकनीकी योजना

14. नगर और ग्राम योजना ; महानगरीय क्षेत्रों के विकास और योजना से संबंधित मामले, इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और तकनीकी सहायता ।
15. दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास और निपटान की स्कीम ।
16. दिल्ली विकास प्राधिकरण ।
17. दिल्ली का मास्टर प्लान, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में मास्टर प्लान तथा गन्दी बस्ती सफाई विषयक काम का समन्वय ।
18. स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में स्मारकों का परिनिर्माण ।
19. दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 ( 1957 का 61 ) का प्रशासन ।
20. दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 (1958 का 59) ।
21. सरकारी बस्तियों का विकास ।
22. स्थानीय शासन, अर्थात् नगर निगमों का (जिनके अंतर्गत दिल्ली नगर निगम नहीं आता है), नगर पालिकाओं का (जिनके अंतर्गत नई दिल्ली नगर पालिका समिति नहीं आती है) और अन्य स्थानीय स्वायत्त प्रशासनों का, जिनके अंतर्गत पंचायती राज संस्थायें नहीं आती हैं, गठन और उनकी शक्तियां ।
23. दिल्ली नगर निगम का दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन उपक्रम ।
24. शहरी क्षेत्रों से संबंधित (जल संसाधन मंत्रालय को सौंपे गए जल योजना और समन्वय के सम्पूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अधीन रहते हुए) जल प्रदाय, मल, जल-निकास तथा स्वच्छता और आबंटित जल संसाधनों से अनुबंध । इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता ।
25. केन्द्रीय स्व-शासन परिषद् ।
26. दिल्ली में सरकारी भूमि का आबंटन ।
27. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित सभी संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन ।
28. इस सूची में सम्मिलित किए गए विषयों के अंतर्गत आने वाली पब्लिक सेक्टर परियोजनाएं जिनके अंतर्गत ऐसी परियोजनाएं नहीं आती हैं जो विनिर्दिष्टतः किसी अन्य विभाग को आबंटित की गयी हैं ।

29. नगर भूमि ( अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 ( 1976 का 33 ) ।
30. दिल्ली नागरी कला आयोग, दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 ( 1973 का 1 ) ।
31. राजघाट समाधि समिति का प्रशासन ।
32. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजना और विकास तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) के प्रशासन से संबंधित सभी विषय ।
33. भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास ( इनटैक ) से संबंधित विषय ।
34. शहरी संरचना से संबंधित मामलों से भिन्न, आवास एवं शहरी विकास निगम ( हूडको ) से संबंधित सभी मामले ।

ख. शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग

1. आवास नीति और कार्यक्रम का तैयार करना (ग्रामीण आवास को छोड़कर, जिसे ग्रामीण विकास गरीबी उपशमन और ग्रामीण रोजगार विभाग को सौंपा गया है) ; योजना स्कीमों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन, आवास, निर्माण सामग्री और निर्माण तकनीक संबंधी आंकड़ों का संग्रहण और प्रसारण, निर्माण लागत घटाने के लिए साधारण उपाय और राष्ट्रीय आवास नीति का केन्द्रीय उत्तरदायित्व ।
  2. मानव बस्तियां जिसमें यूनाइटेड नेशन्स कमीशन फार ह्यूमन सेटलमेंट तथा आवासन और मानव-बस्ती के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और तकनीकी सहायता भी है ।
  3. नगर विकास जिसके अंतर्गत गंदी बस्ती सफाई स्कीमों तथा झुग्गी झोपड़ी हटाने की स्कीमों भी हैं । इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और तकनीकी सहायता।
  4. राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ ।
  5. शहरी रोजगार और शहरी गरीबी उपशमन के विशिष्ट कार्यक्रमों का कार्यान्वयन जिसमें समय-समय पर बनाए गए अन्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी है ।' ;
  6. शहरी संरचना से संबंधित मामलों से भिन्न, आवास एवं शहरी विकास निगम ( हूडको ) से संबंधित सभी मामले ।
- (च) शीर्ष 'शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय' और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(छ) शीर्ष 'सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय' और उसके अधीन प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष और तत्संबंधी प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

1. क्रीडा नीति ।
2. क्रीडा और खेल ।
3. खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि ।
4. नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीडा संस्थान ।
5. भारतीय क्रीडा प्राधिकरण ।
6. भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन और राष्ट्रीय खेल परिसंघ से संबंधित मामले ।
7. विदेशों में टूर्नामेंट में भारतीय क्रीडा टीमों द्वारा भाग लेना और भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में विदेशी क्रीडा टीमों द्वारा भाग लेना ।
8. राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार, जिसके अंतर्गत अर्जुन पुरस्कार भी है ।
9. क्रीडा छात्रवृत्तियां ।
10. विदेशों के साथ खिलाड़ियों, युवा प्रतिनिधि मंडल, विशेषज्ञों और टीमों का आदान-प्रदान।
11. क्रीडा अवसंरचना जिसके अंतर्गत ऐसी अवसंरचना के सृजन और विकास के लिए वित्तीय सहायता भी है ।
12. कोचिंग, टूर्नामेंट, उपस्कर आदि के लिए वित्तीय सहायता ।
13. संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित क्रीडा मामले ।
14. युवा कार्यक्रम ।
15. नेहरू युवक केन्द्र ।
16. राष्ट्रीय सेवा स्कीम ।

17. स्वयंसेवी युवा संगठन, जिसके अंतर्गत उनको दी जाने वाली वित्तीय सहायता भी है।
18. राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवी स्कीम।
19. राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवक।
20. युवा कल्याण क्रियाकलाप, युवा उत्सव, वर्क कैम्प, आदि।
21. ब्वाय - स्काउट और गर्ल गाइड।
22. युवा हास्टल।
23. राष्ट्रीय युवा पुरस्कार।
24. भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसंधान स्कीम का अवशिष्ट कार्य।
25. विभाग द्वारा स्थापित ऐसे सभी संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय और स्वशासी निकाय जो उपर्युक्त विनिर्दिष्ट किसी विषय से संबंधित है।
26. शारीरिक शिक्षा।

(के. आर. नारायणन)

राष्ट्रपति

[फाइल सं. 1/22/1/2000-ए.ए.]

वी. के. गाबा, उप सचिव

**CABINET SECRETARIAT**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th May, 2000

**Doc. CD-325/2000**

S.O. 523(E).— In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and Forty - eighth Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(1) in the First Schedule,—

(A) after the heading "3. Ministry of Civil Aviation (Nagar Vimanan Mantralaya)", the following heading shall be added, namely:—

"3A. Ministry of Coal (Koyala Mantralya)";

(B) the heading "5A. Ministry of Culture, Youth Affairs and Sports (Sanskriti, Yuvak Karyakram aur Khel Mantralaya) and sub-headings "(i) Department of Culture (Sanskriti Vibhag) and (ii) Department of Youth Affairs and Sports (Yuvak Karyakram aur Khel Vibhag) shall be deleted.;

(C) for the heading "20. Ministry of Mines and Minerals (Khan aur Khanij Mantralaya)" and the sub-headings thereunder, the following heading shall be substituted, namely:—

"20. Ministry of Mines (Khan Mantralaya)";

(D) for the heading "32A. Ministry of Tourism (Paryatan Mantralaya)", the following heading and sub-headings shall be substituted, namely:—

"32A. Ministry of Tourism and Culture (Paryatan aur Sanskriti Mantralaya)

(i) Department of Tourism (Paryatan Vibhag)

(ii) Department of Culture (Sanskriti Vibhag).";

(E) for the heading "33. Ministry of Urban Development (Shahari Vikas Mantralaya)", the following heading and sub-heading shall be substituted, namely:—

"33. Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation (Shahari Vikas aur Garibi Upshaman Mantralaya)

(i) Department of Urban Development (Shahari Vikas Vibhag)

(ii) Department of Urban Employment and Poverty Alleviation (Shahari Rozgar aur Garibi Upshaman Vibhag).";

(F) the heading "33A. Ministry of Urban Employment and Poverty Alleviation (Shahari Rozgar aur Garibi Upshaman Mantralaya)" shall be deleted.

(G) after the heading "35. Ministry of Social Justice and Empowerment (Samajik Nyaya aur Adhikarita Mantralaya)", the following heading shall be added, namely:-

"35A. Ministry of Youth Affairs and Sports (Yuvak Karyakram aur Khel Mantralaya).";

(2) in the Second Schedule,-

(A) after the heading "MINISTRY OF CIVIL AVIATION (NAGAR VIMANAN)" and the entries thereunder, the following heading and entries thereto shall be added, namely:-

"MINISTRY OF COAL (KOYALA MANTRALAYA)

1. Exploration and development of coking and non-coking coal and lignite deposits in India.
2. All matters relating to production, supply, distribution and prices of coal.
3. Development and operation of coal washeries other than those for which the Department of Steel (Ispat Vibhag) is responsible.
4. Low Temperature carbonisation of coal and production of synthetic oil from coal.
5. Administration of the Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974 (28 of 1974).
6. The Coal Mines Provident Fund Organisation.
7. The Coal Mines Welfare Organisation.
8. Administration of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1948 (46 of 1948).
9. Administration of the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947 (32 of 1947).
10. Rules under the Mines Act, 1952 (32 of 1952) for the levy and collection of duty of excise on coke and coal produced and despatched from mines and administration of rescue fund.
11. Administration of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957).
12. Public Sector Enterprises dealing with coal and lignite.
13. Administration of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957) and other Union Laws in so far the said Act and Laws relate to coal and

lignite and sand for stowing, business incidental to such administration, including questions concerning various States.”;

- (B) the heading "MINISTRY OF CULTURE, YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SANSKRITI, YUVAK KARYAKRAM AUR KHEL MANTRALAYA)" and sub-headings and entries relating thereto shall be deleted.;
- (C) for the heading "MINISTRY OF MINES AND MINERALS (KHAN AUR KHANIJ MANTRALAYA)" and the sub-headings and entries thereunder, the following headings and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

MINISTRY OF MINES (KHAN MANTRALAYA)

1. (i) Legislation for regulation of mines and development of minerals within the territory of India, including mines and minerals underlying the ocean within the territorial waters or the continental shelf, or the exclusive economic zone and other maritime zones of India as may be specified, from time to time, by or under any law made by Parliament.
- (ii) Regulation of mines and development of minerals other than coal, lignite and sand for stowing and any other mineral declared as prescribed substances for the purpose of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) under the control of the Union as declared by law, including questions concerning regulation and development of minerals in various States and the matters connected therewith or incidental thereto.
2. All other metals and minerals not specifically allotted to any other Ministries/Departments, such as, aluminium, zinc, copper, gold, diamonds, lead and nickel.
3. Planning, development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Department.
4. Geological Survey of India.
5. Indian Bureau of Mines.
6. All other Attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.
7. The Sikkim Mining Corporation Limited.
8. Public Sector Enterprises and undertakings falling under the subjects included in this list, except those which are specifically allotted to any other Department.



9. Metallurgical Grade Silicon.”;
- (D) for the heading "MINISTRY OF TOURISM (PARYATAN MANTRALAYA)" and entries thereunder, the following heading and sub-headings and entries relating thereto shall be substituted, namely :-
- MINISTRY OF TOURISM AND CULTURE (PARYATAN AUR SANSKRITI MANTRALAYA)
- A. DEPARTMENT OF TOURISM (PARYATAN VIBHAG)
1. Development of Tourism.
  2. India Tourism Development Corporation and public Sector Hotels or Motels thereunder.
  3. Inquiries and Statistics for the purpose of any of the matters specified in this list.
- B. DEPARTMENT OF CULTURE (SANSKRITI VIBHAG)
1. National Library; the Indian Museum; the Indian War Memorial Museum; the Victoria Memorial, the Asiatic Society, Calcutta and the India War Memorial and all other like institutions financed by the Government of India wholly or in part and declared by Parliament by law to be institutions of national importance.
  2. National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, Lucknow.
  3. Archaeology, Archaeological Museums.
  4. The Ancient Monuments and Archaeological sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) and the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (7 of 1904).
  5. Grants of Universities and Research Institutions for excavation and exploration of historical and archaeological remains.
  6. International Conventions for the protection of cultural property in the event of armed conflict.
  7. History of Freedom Movement.
  8. Jallianwala Bagh National Memorial Trust.
  9. Administration of Gandhi Smriti and Gandhi Darshan.
  10. The delivery of Books (Public Libraries) Act and the Press and Registration of Books Act (in so far as supply of books and catalogues to the Central Government is concerned).
  11. Promotion of fine arts.

12. Sahitya, Lalit Kala and Sangeet Natak Academies.
13. The Central Secretariat Library; Central Reference Library, Calcutta; Rampur Raza Library, Rampur; Delhi public Library; India Office Library; National Museum, New Delhi; Salar Jung Museum and Library, Hyderabad; Khudabux Oriental Public Library; Nehru Memorial Museum and Library; Gandhi Darshan Samiti; National Gallery of Portraits, National School of Drama, New Delhi; Centre for Cultural Resources and Training, New Delhi; Raja Rammohan Roy Library Foundation, Calcutta; Allahabad Museum, Allahabad; General Development of Museums.
14. Museum of Gems and Jewellery.
15. National Gallery of Modern Art, New Delhi.
16. Acquisition of Indian and Foreign Art objects.
17. Treasure Trove; the Antiquities and Art Treasures Act, 1972 (52 of 1972) and Export of antiquities.
18. Open air theatres in rural areas and theatres in State capitals.
19. Financial assistance to authors and artists or their survivors in indigent circumstances, other than those belonging to the categories covered under the scheme of the Ministry of Information and Broadcasting (Soochana aur Prasaran Mantralaya).
20. Charities and Charitable institutions, Charities and Religious Endowments pertaining to subjects dealt within this Department.
21. Scholarships, including those offered by foreign Government and foreign agencies, in respect of subjects dealt with by this Department.
22. Publication of rare manuscripts.
23. Grants to all-India Cultural Institutions.
24. Grants to Indo-foreign Cultural Societies.
25. Cultural agreements and friendship treaties with foreign countries.
26. Distribution of gift books received from abroad.
27. Appointment of Cultural Attaches abroad.
28. Visit of Cultural Delegations, etc. to India, sponsored and unsponsored.

29. Individuals (including cultural lecturers) sponsored by Government for visits abroad.
30. Presentation of books to foreign countries.
31. Establishment of libraries abroad.
32. Translation of Indian classics into foreign languages.
33. Exchange of official publications with foreign Governments and institutions and agreements for such exchanges.
34. Presentation of Indian art objects abroad.
35. Admission of Foreign students in Cultural Institutions.
36. Exchange of artists, dancers, musicians, etc. under the Cultural Exchange Programmes.
37. Revision of Gazetters.
38. Observance of Centenaries and anniversaries of important personalities.
39. Publication information and statistics relating to subjects dealt with by this Department.
40. International Congress of Orientalists.
41. Anthropological Survey of India.
42. National Archives of India.
43. Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya.
44. National Council of Science Museums, Calcutta.
45. All other attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.
46. Rabindra Rangshalla.
47. Zonal Cultural Centres.
48. National Council of Culture.
49. Indira Gandhi National Centre for Arts (IGNCA).
50. National Theatre.

- (E) for the heading "MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHAHRI VIKAS MANTRALAYA)" and entries thereunder, the following heading and sub-headings and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION  
(SHAHARI VIKAS AUR GARIBI UPSHAMAN MANTRALAYA)

- A. DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT (SHAHARI VIKAS VIBHAG)
1. Properties of the Union, whether lands or buildings, with the following exceptions :-
    - (i) Those belonging to the Ministry of Defence (Raksha Mantralaya) the Ministry of Railways (Rail Mantralaya) and the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag) and the Department of Space (Antariksh Vibhag).
    - (ii) Buildings or lands, the construction or acquisition of which has been financed otherwise than from the Civil Works Budget; and
    - (iii) Buildings or lands, the control of which has at the time of construction or acquisition or subsequently been permanently made over to other Ministries and Departments.
  2. All Government Civil Works and Buildings including those of Union territories excluding Roads and excluding works executed by or buildings belonging to the Ministry of Railways (Rail Mantralaya), Department of Posts (Dak Vibhag), Department of Telecommunications (Doorsanchar Vibhag), Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag) and the Department of Space (Antariksh Vibhag).
  3. Horticulture operations.
  4. Central Public Works Organisation.
  5. Administration of Government estates including Government Hostels under the control of the Ministry. Location or dispersal of offices in or from the metropolitan cities.
  6. Allotment of accommodation in Vigyan Bhawan.
  7. Administration of the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 (30 of 1952).
  8. Administration of Delhi Hotels (Control of Accommodation Act, 1949 (24 of 1949)).

9. The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971).
10. Administration of four Rehabilitation Markets viz. Sarojini Nagar Market, Shankar Market, Pleasure Garden Market and Kamla Market.
11. Issue of lease or conveyance deeds in respect of Government built properties in Delhi and New Delhi under the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954) and conversion of lease deeds, allotment of additional strips of land and correctional areas adjoining such properties.
12. Stationery and Printing for the Government of India including official publications.
13. Planning and Coordination of urban transport systems, with technical planning and road based systems being subject to items 22 and 23 under the Ministry of Surface Transport (Jal-Bhootal Pariwahan Mantralaya) and technical planning of rail based systems being subjects to items 1 and 2 under the Ministry of Railways (Rail Mantralaya), Railway Board (Rail Board).
14. Town and Country Planning; matters relating to the Planning and Development of Metropolitan Areas, International Cooperation and technical assistance in this field.
15. Schemes of large scale acquisition, development and disposal of land in Delhi.
16. Delhi Development Authority.
17. Master Plan of Delhi, Coordination of work in respect of the Master Plan and Slum Clearance in the National Capital Territory of Delhi.
18. Erection of memorials in honour of freedom fighters.
19. Administration of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957).
20. The Delhi Rent Control Act, 1958 (59 of 1958).
21. Development of Government Colonies.
22. Local Government, that is to say, the constitution and powers of the Municipal Corporations (excluding the Municipal Corporation of Delhi), Municipalities (excluding the New Delhi Municipal Committee), other Local Self-Government Administrations excluding Panchayati Raj Institutions.
23. The Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking of the Municipal Corporation of Delhi.

24. Water supply (subject to overall national perspective of water planning and coordination assigned to the Ministry of Water Resources), sewage, drainage and sanitation relating to urban areas and linkages from allocated water resources. International cooperation and technical assistance in this field.
  25. The Central Council of Local Self-Government.
  26. Allotment of Government land in Delhi.
  27. All attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.
  28. Public Sector Projects falling under the subjects included in this list, except such projects as are specifically allotted to any other Department.
  29. The Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (33 of 1976).
  30. Delhi Urban Art Commission, the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1973).
  31. Administration of Rajghat Samadhi Committee.
  32. All matters relating to Planning and Development of the National Capital Region and administration of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985).
  33. Matters relating to the Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH).
  34. Matters of the Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) relating to urban infrastructure.
- B. DEPARTMENT OF URBAN EMPLOYMENT AND POVERTY ALLEVIATION (SHAHARI ROZGAR AUR GARIBI UPSHAMAN VIBHAG)
1. Formulation of housing policy and programme (except rural housing which is assigned to the Department of Rural Development, Poverty Alleviation and Rural Employment (Gramin Vikas, Garibi Upshaman aur Gramin Rozgar Vibhag), review of the implementation of the Plan Schemes, collection and dissemination of data on housing, building materials and techniques, general measures for reduction of building costs and nodal responsibility for National Housing Policy.
  2. Human Settlements including the United Nations Commission for Human Settlements and International Corporation and Technical Assistance in the field of Housing and Human Settlements.

3. **Urban Development including Slum Clearance Schemes and the Jhuggi and Jhonpri Removal Schemes. International Cooperation and technical assistance in this field.**
  4. National Cooperative Housing Federation.
  5. Implementation of the specific programmes of Urban Employment and Urban Poverty Alleviation including other programmes evolved from time to time.
  6. All matters relating to the Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) other than those relating to urban infrastructure.;
- (F) the heading "**MINISTRY OF URBAN EMPLOYMENT AND POVERTY ALLEVIATION (SHAHARI ROZGAR AND GARIBI UPSHAMAN MANTRALAYA)**" and entries relating thereto shall be deleted.
- (G) after the heading "**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SAMAJIK NYAYA AUR ADHIKARITA MANTRALAYA)**" and entries thereunder, the following heading and entries relating thereto shall be added, namely :-
- MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (YUVAK KARYAKRAM AUR KHEL MANTRALAYA)**
1. Sports Policy.
  2. Sports and Games.
  3. National Welfare Fund for Sportsmen.
  4. Netaji Subhas National Institute of Sports.
  5. Sports Authority of India.
  6. Matters relating to the **Indian Olympic Association** and national sports federations.
  7. Participation of Indian sports teams in tournaments abroad and **participation of foreign sports teams** in international tournaments in India.
  8. National Sports Awards, including Arjuna Awards.
  9. Sports Scholarships.
  10. Exchange of Sports persons, Youth delegation, experts and teams with foreign countries.
  11. **Sports infrastructure, including financial assistance for creation and development of such infrastructure.**

12. Financial assistance for coaching, tournaments, equipment, etc.
13. Sports matters relating to Union Territories.
14. Youth Affairs.
15. Nehru Yuvak Kendras.
16. National Service Scheme.
17. Voluntary Youth Organisations, including financial assistance to them.
18. National Service Volunteer Scheme.
19. Commonwealth Youth Programme and United Nations Volunteers.
20. Youth welfare activities, youth festivals, work camp, etc.
21. Boy-scouts and girl-guides.
22. Youth Hostels.
23. National Youth Awards.
24. Residual work of the erstwhile National Discipline Scheme.
25. All attached or subordinate offices and autonomous bodies set up by the Department concerning any of the subjects specified above.
26. Physical Education."

(K. R. NARAYANAN)

President

[File No. 1/22/1/2000-Cab.]

V. K. GAUBA, Dy. Secy.